



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]
No. 175]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 11, 2013/चैत्र 21, 1935
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 11, 2013/CHAITRA 21, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 217 (अ).—केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जनरल ड्यूटी कांडर (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जनरल ड्यूटी कांडर (समूह 'क' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जनरल ड्यूटी कांडर (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2010 में नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“8क. अधिवर्षिता.— उप-महानिरीक्षक (जनरल ड्यूटी) और महानिरीक्षक (जनरल ड्यूटी) में रैंक धारण किए हुए अधिकारी उस मास के, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा और सहायक कमांडेंट (जनरल ड्यूटी), उप कमांडेंट (जनरल ड्यूटी) और कमांडेंट (जनरल ड्यूटी) रैंक धारण किए हुए कार्मिक उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा :

परंतु वह कार्मिक जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, साठ वर्ष या सत्तावन वर्ष, जो लागू हो, की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा”।

[फा. सं. I-12013/1/2011-संगठन]

हरीश चन्द्र, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 811(अ), तारीख 5 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 8th April, 2013

G.S.R. 217(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2010 under the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'A' posts), Recruitment Amendment Rules, 2013.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indo-Tibetan Border Police Force General Duty Cadre (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2010, after rule 8, the following rule shall be inserted, namely :—

“8A. Superannuation.—Officers holding the ranks of Deputy Inspector General (General Duty) and Inspector General (General Duty) shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of sixty years and officers holding the ranks of Assistant Commandant (General Duty), Deputy Commandant (General Duty), Second-in-command (General Duty) and Commandant (General Duty) shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty seven years;

Provided that an officer whose date of birth is the first of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years or fifty-seven years as the case may be”.

[F. No. I-12013/1/2011-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 811 (E), dated the 5th October, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 218(अ).— केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जज अटर्नी जनरल, अपर जज अटर्नी जनरल, उप जज अटर्नी जनरल और जज अटर्नी, समूह 'क' पद भर्ती नियम और सेवा निबंधन नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जज अटर्नी जनरल, अपर जज अटर्नी जनरल, उप जज अटर्नी जनरल और जज अटर्नी, समूह 'क' पद भर्ती और सेवा निबंधन (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जज अटर्नी जनरल, अपर जज अटर्नी जनरल, उप जज अटर्नी जनरल और जज अटर्नी, समूह 'क' पद भर्ती और सेवा निबंधन नियम, 2010 में नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“9क. अधिवर्षिता.— जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक) की रैंक धारण किए हुए अधिकारी उस मास के, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा; और अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) और जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) की रैंक धारण किए हुए अधिकारी उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

परंतु वह कार्मिक जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, साठ वर्ष की या सत्तावन वर्ष जैसा भी मामला हो की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा” ।

[फा. सं. I-12013/1/2011-संगठन]

हरीश चन्द्र, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 857(अ), तारीख 26 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2013

G.S.R. 218 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Judge Attorney General, Additional Judge Attorney General, Deputy Judge Attorney General and Judge Attorney Group 'A' Posts Recruitment and conditions of Service Rules, 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Judge Attorney General, Additional Judge Attorney General, Deputy Judge Attorney General and Judge Attorney Group 'A' Posts Recruitment and conditions of Service (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Judge Attorney General, Additional Judge Attorney General, Deputy Judge Attorney General and Judge Attorney Group 'A' Posts Recruitment and conditions of Service Rules, 2010, after rule 9, the following rule shall be inserted, namely :—

“9A. **Superannuation.** — Officers holding the rank of Judge Attorney General (Deputy Inspector General) shall retire from the service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of sixty years; and officers holding the ranks of Additional Judge Attorney General (Commandant), Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and Judge Attorney (Assistant Commandant) shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty seven years:

Provided that an officer whose date of birth is on the first of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years or fifty seven years as the case may be”.

[F. No. I-12013/1/2011-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 857(E), dated the 26th October, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2013.

सा.का.नि.219 (अ).—केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (समूह 'ख' पद) हिन्दी अनुवादक पद भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (समूह 'ख' पद) हिन्दी अनुवादक पद भर्ती संशोधन नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (समूह 'ख' पद) हिन्दी अनुवादक पद भर्ती नियम, 2010 में नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“5क. अधिवर्षिता.— उप-निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) और निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) के काडर में रैंक धारण किए हुए कार्मिक उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होगा :

परंतु वह कार्मिक जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होगा”।

[फा. सं. I-12013/1/2011-संगठन]

हरीश चन्द्र उप-सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 877(अ), तारीख 2 नवंबर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2013

G.S.R. 219(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force (Group 'B' posts) Hindi Translators Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force (Group 'B' posts) Hindi Translators Recruitment Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force (Group 'B' posts) Hindi Translators Recruitment Rules, 2010, after rule 5, the following rule shall be inserted, namely:—

“5A. **Superannuation.**—Personnel holding the ranks of Sub-Inspector (Hindi Translator) and Inspector (Hindi Translator) of this cadre shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty-seven years:

Provided that personnel whose date of birth is on the first of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-seven years”.

[F. No. I-12013/1/2011-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 877(E), dated the 2nd November, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 220(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, कांस्टेबल (जल वाहक) और कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, कांस्टेबल जल वाहक और कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी) समूह 'ग' पद भर्ती संशोधन नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, कांस्टेबल (जल वाहक) और कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 में नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“6क. अधिवर्षिता.— कांस्टेबल (जल वाहक) और कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी) का रैंक धारण किए हुए कार्मिक उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा :

परंतु वह कार्मिक जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा”।

[फा. सं. I-12013/1/2011-संगठन]

हरीश चन्द्र, उप-सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 691(अ), तारीख 20 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2013

G.S.R. 220(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Constable (Water Carrier) and Constable (Safai Karamchhari) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Constable (Water Carrier) and Constable (Safai Karamchhari) Group 'C' Posts Recruitment Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Constable (Water Carrier) and Constable (Safai Karamchhari) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2010, after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:-

“6A. **Superannuation.** — Personnel holding the ranks of Constable (Water Carrier) and Constable (Safai Karamchhari) shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty-seven years:

Provided that personnel whose date of birth is on the first of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-seven years”.

[F. No. I-12013/1/2011-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 691(E), dated the 20th August, 2010.

1461 GI/13-2

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 221 (अ).-- केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष), समूह 'ख' पद भर्ती संशोधन नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2010 में नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“5क. अधिवर्षिता.-- निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष) रैंक धारण किए हुए कार्मिक उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा :

परंतु वह कार्मिक जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा”।

[फा. सं. I-12013/1/2011-संगठन]

हरीश चन्द्र, उप-सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 685(अ), तारीख 19 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April 2013

G.S.R. 221(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Inspector (Librarian), Group 'B' post, Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Inspector (Librarian), Group 'B' post, Recruitment Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Inspector (Librarian), Group 'B' post, Recruitment Rules, 2010, after rule 5, the following rule shall be inserted, namely:—

“5A. Superannuation. — Personnel holding the rank of Inspector (Librarian) shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty-seven years:

Provided that a person whose date of birth is on the first of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-seven years".

[F. No. I-12013/1/2011-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) number G.S.R. 685(E), dated the 19th August, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2013.

सा.का.नि. 222(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पैरा चिकित्सा काडर निरीक्षक (भेषजज्ञ) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पैरा चिकित्सा काडर निरीक्षक (भेषजज्ञ) भर्ती संशोधन नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पैरा चिकित्सा काडर निरीक्षक (भेषजज्ञ) भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में, नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“5क. अधिवर्षिता.—निरीक्षक (भेषजज्ञ) रैंक धारण किए हुए कार्मिक उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा :

परंतु वह कार्मिक जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा”।

[फा. सं. I-12013/1/2011-संगठन]

हरीश चन्द्र, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 34(अ), तारीख 15 जनवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2013

G.S.R. 222(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Para Medical Cadre Inspector (Pharmacist) Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Para Medical Cadre Inspector (Pharmacist) Recruitment Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Para Medical Cadre Inspector (Pharmacist) Recruitment Rules, 2010, after rule 5, the following rule shall be inserted, namely:—

“5A. **Superannuation.** — Personnel holding the rank of Inspector (Pharmacist) shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty-seven years:

Provided that personnel whose date of birth is on the first of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-seven years”.

[F. No. I-12013/1/2011-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), number G.S.R. 34(E), dated the 15th January, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2013.

सा.का.नि. 223 (अ). —केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक कमांडेंट (कार्यालय) और सहायक कमांडेंट (स्टाफ आफिसर) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक कमांडेंट (कार्यालय) और सहायक कमांडेंट (स्टाफ आफिसर) (समूह 'क' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक कमांडेंट (कार्यालय) और सहायक कमांडेंट (स्टाफ आफिसर) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2010 में, नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“6क. अधिवर्षिता.— सहायक कमांडेंट (कार्यालय) और सहायक कमांडेंट (स्टाफ आफिसर) रैंक धारण किए हुए अधिकारी उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा :

परंतु वह कार्मिक जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा”।

[फा. सं. I-12013/1/2011-संगठन]

हरीश चन्द्र, उप-सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 414(अ), तारीख 18 मई, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2013

G.S.R. 223(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Commandant (Office) and Assistant Commandant (Staff Officer) (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Commandant (Office) and Assistant Commandant, Staff Officer (Group 'A' Posts) Recruitment Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Commandant (Office) and Assistant Commandant (Staff Officer) (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2010, after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:—

"6A. Superannuation. — Officers holding the rank of Assistant Commandant (Office) and Assistant Commandant (Staff Officer) shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty-seven years:

Provided that an officer whose date of birth is on the first of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-seven years".

[F. No. I-12013/1/2011-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 414(E), dated the 18th May, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 224(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, योधक अनुसचिवीय काडर और योधक आशुलिपिक काडर समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, योधक अनुसचिवीय काडर और योधक आशुलिपिक काडर समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती संशोधन नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, योधक अनुसचिवीय काडर और योधक आशुलिपिक काडर समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 में, नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"6क. अधिवर्षिता.—हैंड कांस्टेबल (योधक अनुसचिवीय), सहायक उप-निरीक्षक (योधक अनुसचिवीय), उप-निरीक्षक (योधक अनुसचिवीय), निरीक्षक (योधक अनुसचिवीय), उप-निरीक्षक (आशुलिपिक), निरीक्षक (आशुलिपिक) के इन काडरों में रैंक धारण किए हुए कार्मिक उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा :

1461 GSI/13-3

परंतु वह कार्मिक जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा” ।

[फा. सं. I-12013/1/2011-संगठन]

हरीश चन्द्र, उप-सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 287(अ), तारीख 6 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2013

G.S.R. 224(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant Ministerial Cadre and Combatant Stenographer Cadre Group 'B' and Group 'C' posts Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant Ministerial Cadre and Combatant Stenographer Cadre Group 'B' and Group 'C' posts Recruitment Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant Ministerial Cadre and Combatant Stenographer Cadre Group 'B' and Group 'C' posts Recruitment Rules, 2010, after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:—

“6A. **Superannuation.** — Personnel holding the ranks of Head Constable (Combatised Ministerial), Assistant Sub-Inspector (Combatised Ministerial), Sub-Inspector (Combatised Ministerial), Inspector (Combatised Ministerial), Sub-Inspector (Stenographer) and Inspector (Stenographer) of these cadres shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty-seven years:

Provided that the personnel whose date of birth is on the first of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-seven years”.

[F. No. I-12013/1/2011-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 287(E), dated the 6th April, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 225 (अ). —केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, चिकित्सा काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, चिकित्सा काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, चिकित्सा काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 में नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“6क. अधिवर्षिता. —कांस्टेबल (चिकित्सा), हैंड कांस्टेबल (चिकित्सा और भंडार) और हैंड कांस्टेबल (सेविका) के इन काडरों में रैंक धारण किए हुए कार्मिक उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा :

परंतु वह कार्मिक जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा”।

[फा. सं. I-12013/1/2011-संगठन]

हरीश चन्द्र, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 323(अ), तारीख 15 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2013

G.S.R. 225 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Medical Cadre (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2010, namely :—

1.(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Medical Cadre (Group 'C' Posts) Recruitment Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Medical Cadre (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2010, after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:—

“6A. Superannuation.—Personnel holding the rank of Constable (Medics), Head Constable (Medical and Stores) and Head Constable (Midwife) of these cadres shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty-seven years:

Provided that personnel whose date of birth is on the first of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-seven years".

[F. No. I-12013/1/2011-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 323(E), dated the 15th April, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2013.

सा.का.नि. 226(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पैरा चिकित्सा काडर (समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पैरा चिकित्सा काडर (समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पैरा चिकित्सा काडर (समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 में नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :—

“6क. **अधिवर्षिता.**—सहायक उप-निरीक्षक (प्रयोगशाला तकनीशियन), उप-निरीक्षक (प्रयोगशाला तकनीशियन), सहायक उप-निरीक्षक (विकिरण चित्रक), उप-निरीक्षक (विकिरण चित्रक), सहायक उप-निरीक्षक (भेषजज्ञ), उप-निरीक्षक (भेषजज्ञ), उप-निरीक्षक (स्टाफ नर्स), निरीक्षक (स्टाफ नर्स) और सहायक कमांडेंट (सहायक परिचर्या अधीक्षक) के इन काडरों में रैंक धारण किए हुए कार्मिक उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा :

परंतु वह कार्मिक जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा”।

[फा. सं. I-12013/1/2011-संगठन]

हरीश चन्द्र, उप-सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 593(अ), तारीख 9 जुलाई, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2013

G.S.R. 226(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Para Medical Cadre (Group 'A', 'B' and 'C' Posts) Recruitment Rules, 2010, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Para Medical Cadre (Group 'A', 'B' and 'C' Posts) Recruitment Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Para Medical Cadre (Group 'A', 'B' and 'C' Posts) Recruitment Rules, 2010, after rule 6, the following entries shall be inserted, namely:-

"6A. **Superannuation.** — Personnel holding the rank of Assistant Sub Inspector (Laboratory Technician), Sub Inspector (Laboratory Technician), Assistant Sub Inspector (Radiographer), Sub Inspector (Radiographer), Assistant Sub Inspector (Pharmacist), Sub Inspector (Pharmacist), Sub Inspector (Staff Nurse), Inspector (Staff Nurse) and Assistant Commandant (Assistant Nursing Superintendent) of these cadres shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty-seven years:

Provided that personnel whose date of birth is on the first of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-seven years".

[F. No. I-12013/1/2011-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.593(E), dated the 9th July, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2013.

सा.का.नि.227 (अ).-- केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु परिवहन काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु परिवहन काडर (अराजपत्रित) भर्ती संशोधन नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु परिवहन काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2010 में नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"6क. अधिवर्षिता.-- कांस्टेबल (पशु परिवहन), हेड कांस्टेबल (पशु परिवहन), उप-निरीक्षक (पशु परिवहन) और निरीक्षक (पशु परिवहन) के इन काडरों में रैंक धारण किए हुए कार्मिक उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा :

परंतु वह कार्मिक जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा"।

[फा. सं. I-12013/1/2011-संगठन]

हरीश चन्द्र, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 656(अ), तारीख 4 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2013

G.S.R. 227(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Animal Transport Cadre (Non-gazetted) Recruitment Rules, 2010, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Animal Transport Cadre (Non-gazetted) Recruitment Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Animal Transport Cadre (Non-gazetted) Recruitment Rules, 2010, after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:-

"6A. Superannuation. — Personnel holding the rank of Constable (Animal Transport), Head Constable (Animal Transport), Sub Inspector (Animal Transport) and Inspector (Animal Transport) of this cadre shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty-seven years:

Provided that personnel whose date of birth is on the first of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-seven years".

[F. No. I-12013/1/2011-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 656(E), dated the 4th August, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 228 (अ).— केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, ड्रेसर पशु चिकित्सा काडर (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, ड्रेसर पशु चिकित्सा काडर (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, ड्रेसर पशु चिकित्सा काडर (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 में नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“6क. अधिवर्षिता.-- हेड कांस्टेबल (ड्रेसर पशु चिकित्सा), उप-निरीक्षक (ड्रेसर पशु चिकित्सा) और निरीक्षक (ड्रेसर पशु चिकित्सा) के इन काडरों में रैंक धारण किए हुए कार्मिक उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा :

परंतु वह कार्मिक जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा” ।

[फा. सं. I-12013/1/2011-संगठन]

हरीश चन्द्र, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 671(अ), तारीख 11 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2013

G.S.R. 228(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Veterinary Cadre (Group 'B' & 'C' posts) Recruitment Rules, 2010, namely :-

1. (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Veterinary Cadre (Group 'B' and 'C' posts) Recruitment Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Veterinary Cadre (Group 'B' & 'C' posts) Recruitment Rules, 2010, after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:-

“5A. **Superannuation.** — Personnel holding the rank of Head Constable (Dresser Veterinary), Sub Inspector (Dresser Veterinary), and Inspector (Dresser Veterinary) of this cadre shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty-seven years:

Provided that personnel whose date of birth is on the first of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-seven years”.

[F. No. I-12013/1/2011-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 671(E), dated the 11th August, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 229 (अ).-- केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आयुधिक काडर (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आयुधिक काडर (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आयुधिक काडर (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 में नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"6क. अधिवर्षिता.-- कांस्टेबल (आयुधिक), हेड कांस्टेबल (आयुधिक), उप-निरीक्षक (आयुधिक) और निरीक्षक (आयुधिक) के इन काडर में रैंक धारण किए हुए कार्मिक उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा :

परंतु वह कार्मिक जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा"।

[फा. सं. I-12013/1/2011-संगठन]

हरीश चन्द्र, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 670(अ), तारीख 11 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2013

G.S.R. 229(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Armourer Cadre (Group 'B' & 'C' posts), Recruitment Rules, 2010, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Armourer Cadre (Group 'B' and 'C' posts), Recruitment Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Armourer Cadre (Group 'B' and 'C' posts), Recruitment Rules, 2010, after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:-

"6A. **Superannuation.** — Personnel holding the rank of Constable (Armourer), Head Constable (Armourer), Sub Inspector (Armourer) and Inspector (Armourer) of this cadre shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty-seven years:

Provided that personnel whose date of birth is on the first of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-seven years".

[F. No. I -12013/1/2011-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Note: — The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 670(E), dated the 11th August, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2013.

सा.का.नि.230 (अ).—केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पायनियर काडर, समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पायनियर काडर, समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती संशोधन नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पायनियर काडर, समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 में नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“6क. अधिवर्षिता.— कांस्टेबल (पायनियर), हेड कांस्टेबल (पायनियर), उप-निरीक्षक (पायनियर) और निरीक्षक (पायनियर) के इन काडर में रैंक धारण किए हुए कार्मिक उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

परंतु वह कार्मिक जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा”।

[फा. सं. 1-12013/1/2011-संगठन]

हरीश चन्द्र, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 686(अ), तारीख 19 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2013

G.S.R. 230(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Pioneer Cadre, Group 'B' and Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2010, namely :-

1. (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Pioneer Cadre, Group 'B' and Group 'C' Posts-Recruitment Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Pioneer Cadre, Group 'B' and Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2010, after rule 6, the following entries shall be inserted, namely:-

“6A. **Superannuation.** — Personnel holding the rank of Constable(Pioneer), Head Constable (Pioneer), Sub Inspector (Pioneer), Sub Inspector(Overseer) and Inspector(Overseer) of this cadre

shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty-seven years:

Provided that a person whose date of birth is on the first of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-seven years”.

[F. No. I-12013/1/2011-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 686(E), dated the 19th August, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2013.

सा.का.नि.231 (अ).—केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दर्जी, मोची और माली काडर, समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दर्जी, मोची और माली काडर, समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती संशोधन नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दर्जी, मोची और माली काडर, समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 में नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“6क. अधिवर्षिता.—कांस्टेबल (दर्जी या मोची या माली), हैंड कांस्टेबल (दर्जी या मोची या माली), उप-निरीक्षक (दर्जी) और निरीक्षक (दर्जी) के इन काडरों में रैंक धारण किए हुए कार्मिक उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा :

परंतु वह कार्मिक जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा”।

[फा. सं. I-12013/1/2011-संगठन]

हरीश चन्द्र, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 693(अ), तारीख 20 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2013

G.S.R. 231(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Tailor, Cobbler and Gardener Cadre, Group 'B' and 'C' Posts Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Tailor, Cobbler and Gardener Cadre, Group 'B' and 'C' Posts Recruitment Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Tailor, Cobbler and Gardener Cadre, Group 'B' and 'C' Posts Recruitment Rules, 2010, after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:-

"6A. **Superannuation.** — Personnel holding the rank of Constable (Tailor or Cobbler or Gardner), Head Constable (Tailor or Cobbler or Gardner) Sub Inspector (Tailor) and Inspector (Tailor) of these cadres shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty-seven years:

Provided that personnel whose date of birth is on the first of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-seven years".

[F. No. I-12013/1/2011-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 693(E), dated the 20th August, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2013.

सा.का.नि.232 (अ).—केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, कांस्टेबल (रसोइया), कांस्टेबल (धोबी) और कांस्टेबल (नाई) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, कांस्टेबल (रसोइया), कांस्टेबल (धोबी) और कांस्टेबल (नाई) समूह 'ग' पद भर्ती संशोधन नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, कांस्टेबल (रसोइया), कांस्टेबल (धोबी) और कांस्टेबल (नाई) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 में नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"6क. अधिवर्षिता.— कांस्टेबल (रसोइया), कांस्टेबल (धोबी) और कांस्टेबल (नाई) का रैंक धारण किए हुए कार्मिक उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा :

परंतु वह कार्मिक जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा"।

[फा. सं. I-12013/1/2011-संगठन]

हरीश चन्द्र उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 692(अ), तारीख 20 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

1461 GI/13-6

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2013

G.S.R. 232(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Constable (Cook), Constable (Washerman) and Constable (Barber) Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2010, namely :-

1. (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Constable (Cook), Constable (Washerman) and Constable (Barber) Group 'C' Posts, Recruitment Amendment Rules, 2013.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Constable (Cook), Constable (Washerman) and Constable (Barber) Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2010, after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:-

"6A. Superannuation.— Personnel holding the rank of Constable (Cook), Constable (Washerman) and Constable (Barber) shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty-seven years:

Provided that personnel whose date of birth is on the first of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-seven years".

[F. No. I-12013/1/2011-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 692(E), dated the 20th August, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 233 (अ).— केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंजीनियरी काडर (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंजीनियरी काडर (समूह 'क' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंजीनियरी काडर (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2011 में नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"6क. अधिवर्षिता.— उप-महानिरीक्षक (इंजीनियर) में रैंक धारण किए हुए अधिकारी उस मास के, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा और सहायक कमांडेंट (इंजीनियर), उप कमांडेंट (इंजीनियर) और कमांडेंट (इंजीनियर) रैंक धारण किए हुए अधिकारी उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा :

परंतु वह कार्मिक जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, साठ वर्ष या सत्तावन वर्ष, जो लागू हो, की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा” ।

[फा. सं. I-12013/1/2011-संगठन]

हरीश चन्द्र उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 411(अ), तारीख 27 मई, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2013

G.S.R. 233(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Engineering Cadre (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2011 under the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Engineering Cadre (Group 'A' posts), Recruitment Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force Engineering Cadre (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2011, after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:—

“6A. Superannuation.—Officers holding the ranks of Deputy Inspector General(Engineer) shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of sixty years and officers holding the ranks of Assistant Commandant(Engineer), Deputy Commandant(Engineer) and Commandant(Engineer) shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty seven years:

Provided that an officer whose date of birth is the first of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years or fifty-seven years as the case may be”.

[F. No. I-12013/1/2011-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Note :- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 411 (E), dated the 27th May, 2011.

